तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1324/2003/नागौर भागीरथ बनाम हरदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीतसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 05.07.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, मुख्यालय, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निगराधीन आदेश अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी हरदेवराम वगैराह की ओर से विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रतिवादी सन्तोष चन्द्र वगैराह के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थी भागीरथ की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 10 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1324/2003/नागौर भागीरथ बनाम हरदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28–07–2001 का प्रस्तुत कर लम्बित वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने एवं दावा हाजा को स्थगित कर अलग पत्रावली नम्बर 152/1989 मगनीराम बनाम पूसालाल के साथ लगवाये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी व धारा 10 जाप्ता दीवानी को अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के आधार पर अदम हाजरी अदम पैरवी में आदेश दिनांक 12–08–2002 से खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र दिनांक 12–08–2002 को ही प्रस्तुत कर पारित आदेश को निरस्त कर धारा 10 जाप्ता दीवानी व पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को निरस्त कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनानुसार प्रार्थी विवादित आराजी में अपना स्वत्व व अधिकार होना अंकित करता है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को विचारण न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया तत्पश्चात् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1324/2003/नागौर भागीरथ बनाम हरदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को भी खारिज किया गया है। इस प्रकार मूल प्रार्थनापत्र पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर सुनवाई कर विधिसम्मत् आदेश हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सशर्त स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर, मुख्यालय नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-3-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी 2000/-रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नागौर में जमा करवा कर रसीद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी एवं धारा 10 जाप्ता दीवानी पर सहायक कलक्टर मु0 नागौर उभयपक्ष को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत् आदेश पारित करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे सहायक कलक्टर, मु0 नागौर के न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित हो। निर्णय प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/1324/2003/नागौर भागीरथ बनाम हरदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए